

15/11/22

पञ्जावली काज पेसा हुये वकील डायागिण
 उपस्थित विवाहगिण तदुपरिष्ठा विवाहगिण
 के कोर्ट समय प्रतीक कार की-की
 कावाजे डिमाई गयी बावजूद तदुपरिष्ठा
 रहने के विवाहगिण के खिलाफ
 एक तरफ कायवादी की जाती है
 वकील डायागिण के वदत हुयी
 कोर्ट कलक के डिमाया जाक ह
 हुये न्यायालय हुकमा गलत कोर्ट
 की पालनार्थ तदर्थ जारी हो
 पालन्य खात होने पर श्रमिक सचिवनी
 की कोर्ट सचिवनी विविध हुकम
 हुकम जारी कियता है।

(५१)
 उपाखण्ड अधिकारी
 गुडामालानी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या : 174 / 2022 (GCMS No. 2022/285)

विप्राथीगण :-

1. केसराराम वल्द मोहनराम
2. डूंगराराम वल्द घमण्डाराम
3. पेकराराम वल्द मोहनराम
4. मगाराम वल्द घमण्डाराम
5. राजोदेवी पत्नी घमण्डाराम
कौम जाट निवासी नौखडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्राथीगण :-

1. मूलाराम वल्द लिछमणाराम कौम जाट निवासी हाल आदर्श छोटू
2. अर्जुनराम वल्द लुंभाराम
3. पर्वतसिंह वल्द लुंभाराम
4. पारुदेवी पत्नी लुंभाराम
5. भीखीदेवी पत्नी लुंभाराम
6. रूखमणाराम वल्द लुंभाराम
कौम जाट निवासी नौखडा तहसील नौखडा
7. गोपाराम वल्द पुरखाराम
8. गोरखा वल्द फरू
9. पदमा वल्द फरू
10. जोधा वल्द फरू
11. दुर्गाराम वल्द पेमाराम साकिन नौखडा
12. जयराम परिहार वल्द पुरखाराम
13. नोजीदेवी पत्नी पुरखाराम कौम मेगवाल
14. जीयाराम वल्द चेतनराम
15. राणीदेवी पत्नी चेतनराम
16. शंकराराम वल्द चेतनराम
17. ढेली पत्नी बीजाराम
18. धनाराम वल्द बीजाराम
19. प्रकाश वल्द बीजाराम
20. राजू वल्द बीजाराम
21. सवाईराम वल्द बीजाराम
कौम गुरुडा साकिन आदर्श छोटू
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी/नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-


1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकतरफा - विप्राथीगण

--: आदेश ::-

दिनांक :- 15.11.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्राथीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्राथीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्राथीगण के खिलाफ बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


पत्रावली पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2072-2075 - जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा आदर्श छोटू के खेत खसरा नम्बर 893/119 रकबा 2.9866 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के


उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सरहद मौजा आदर्श छोटू के खेत खसरा नम्बर 893/119 रकबा 2.9866 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/11/22 को मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी